

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1981/कार्तिक 16, 1903

No. 499] NEW DELHI, SATURDAY, NOV., 7 1981/KARTIKA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

राम मंत्रालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1981

का. आ. 789 (अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा अभिनियम, 1948 (1948 अद्य
34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नवम्बर, 1981 के 8वें दिन को उस तारीख के रूप में
नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के
सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 78 की
उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की

जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रयुक्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला मालाप्पुरम में
तिरु ताल्लुक के राजस्व ग्राम
थिरुरगाडि के अन्तर्गत
बाने वाले क्षेत्र ।”

[संख्या एस.-38013 29/81-एच. आई.]

वी. एन. अय्यर, अवसर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1981

S.O. 789(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 8th day of November, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

“The areas within the revenue village of Thirurangaadi in Tirur Taluk in Malappuram District.”

[No. S-38013/29/81-HI]

V. N. AIYER, Under Secy.